

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1981/2013/अजमेर

मैसर्स भगवान स्वीट स्टोर,  
61-62, जनता मार्केट पडाव, अजमेर।  
अपीलार्थी.

.....

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,  
राजस्थान, घट-प्रथम, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

अपील संख्या 719/2014/अजमेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,  
राजस्थान, घट-प्रथम, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स भगवान स्वीट स्टोर,  
61-62, जनता मार्केट पडाव, अजमेर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी.सोगानी  
अभिभाषक।

....व्यवहारी की ओर से

श्री जमील जई,  
उप राजकीय अभिभाषक

.....राजस्व की आरे से

निर्णय दिनांक : 14.09.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी/राजस्व विभाग द्वारा ये दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 185/12-13/वैट/अजमेर में पारित आदेश दिनांक 25.09.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वृत्त प्रथम, जयपुर (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित आदेश अंतर्गत अधिनियम की धारा 25, 55, 61 एवं 75(8) के तहत पारित आदेश दिनांक 28.01.2013 में सृजित मांग राशियों में से आंशिक राशि ही समाप्त करने को विवादित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा भी क्रॉस अपील संख्या 719/2014/अजमेर प्रस्तुत की गई है। चूंकि दोनों ही प्रकरणों के तथ्य समान है अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जा रही हैं।



लगातार.....2

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 28.02.2012 को अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण जांच अधिकारी (सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापंचन, राजस्थान घट-तृतीय, वृत्त पंचम, जयपुर) द्वारा फर्म के अधिकृत प्रबन्धक श्री प्रकाश चन्द मन्सानी की उपस्थिति में किया गया। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने फर्म में कंडबरीज एवं कन्फैक्शनरी सामान/शुगर केन्डी की खरीद बिक्री का व्यवसाय करना पाया गया। वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल एवं गोदामों में रखे गये माल की भौतिक गणना की गई एवं उपलब्ध लेखा पुस्तकों से खरीद व बिक्री के प्रिन्ट आउट लिये गये। सर्वेक्षण दिनांक तक की बिक्री की जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.01.2012 तक के ही बिल जारी किये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.09.2012 को प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग अकाउन्ट में दिनांक 19.01.2012 से 28.02.2012 तक की बिक्री भी शामिल किया जाना बताया। व्यवसाय स्थल पर उपलब्ध लेखा पुस्तकों से प्राप्त किये गये प्रिन्ट आउट से भौतिक सत्यापन पर पाये गये माल एवं दिनांक 19.01.2012 तक की गई बिक्री का मिलान करने पर पाया गया कि 14 प्रतिशत कर योग्य कन्फैक्शनरी वस्तुओं में 15,42,419/- का माल कम पाया गया तथा 5 प्रतिशत कर योग्य शुगर केन्डी 1,20,033/- रुपये का माल लेखा पुस्तकों की तुलना में भौतिक रूप से अधिक पाया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान समस्त माल की गणना और मूल्यांकन अपीलार्थी/अधिकृत प्रबन्धक के सहयोग से ही किया गया। अपीलार्थी को सुनवाई के पश्चात सशक्त अधिकारी द्वारा वर्ष 2011-12 का उपर वर्णित धाराओं के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.01.2013 पारित करते हुए कम पाये गये माल पर अधिनियम की धारा 61 के तहत क्रमशः 2,15,940/- रुपये अपवंचित कर तथा इस पर 4,31,880/- रुपये की शास्ति अधिनियम की धारा 61 के तहत करवंचना हेतु आरोपित की गई। कर समय पर नहीं होने से धारा 55 के तहत 23,749/- रुपये ब्याज आरोपित किया गया। इसके अलावा लेखा पुस्तकों की तुलना में भौतिक रूप से अधिक पाये गये 5 प्रतिशत कर योग्य माल 1,20,033/- रुपये पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत 3008/- शास्ति भी आरोपित की गई। इस प्रकार कुल मांग राशि रुपये 7,01,577/- आरोपित की गई।

3. सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 28.01.2013 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिस पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 25.09.2013 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुए कुल मांग राशि 7,01,577/- में से 6,04,412/- रुपये अपास्त करते हुए 97,165/- रुपये की मांग राशि को यथावत रखा। जिसका विवरण निम्न है :-  
आरोपित कर रुपये 2,15,940/- में से 1,94,346/- अपास्त कर शेष कर

21,594/- यथावत रखा एवं धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति रूपये 4,31,880/- में से 3,88,692/- की शास्ति को अपास्त कर रूपये 43,188/- को यथावत रखा तथा ब्याज राशि 21,374/- में से रूपये 2,375/- को यथावत रखा है। भौतिक गणना में अधिक पाये गये 5 प्रतिशत की दर के माल पर आरोपित धारा 78(5) के तहत शास्ति को यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा उक्त अपील संख्या 1981/2013 तथा विभाग द्वारा आंशिक मांग राशि अपास्त करने के विरुद्ध अपील संख्या 719/2014 राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई।

4. दोनों पक्षों सुना गया।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री वी.सी.सोगानी ने बहस के दौरान तर्क दिया कि वक्त सर्वेक्षण बहियात अधूरे थे। दिनांक 19.01.2012 से 28.02.2012 तक के बिल जारी नहीं कर पाये थे, जिसका कारण तत्समय ही जांच अधिकारी को अवगत करवा दिया गया था। उन्होंने अवगत करवाया कि व्यवसाय के लेखाकार व्यवसाय से संबंधित लेखा पुस्तकें तैयार करने हेतु अपने पास ले गये थे। लेखाकार के पिताजी का देहान्त हो जाने के कारण लेखा पुस्तकें तैयार नहीं हो पाये थे उन्होंने यह भी तर्क दिया कि फर्म के मालिक श्री प्रकाश मन्सानी के पिता भगवान मन्सानी का भी लगातार स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां अधूरी रही। उन्होंने यह भी बताया कि फर्म मालिक के पिताजी की अन्य फर्म मैसर्स प्रकाश जनरल स्टोर भी है जिसका करोबार भी वे संभाल रहे हैं। अतः बीमारी की वजह से लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां समय पर नहीं कर पाये थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दिनांक 19.01.2012 से दिनांक 28.02.2012 तक के जो बिल जारी नहीं किये गये थे बाद में जारी करके लेखा पुस्तकों को पूरा कर बिक्री विवरण पत्रों में भी दर्शा दिया एवं इसका देय कर भी जमा करवा दिया गया। चूंकि विवरणियों के आधार पर नियमित कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण भी सम्पूरित कर दिया था अतः उक्त आधारों पर कोई करापवंचना नहीं होने के कारण प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि की गई अवशेष मांग राशि को अपास्त करने का अनुरोध किया।

6. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.09.2013 द्वारा अपास्त की गई राशियों को पुर्नस्थापित करने का निवेदन किया।

*for*

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा मुख्यतः यह दलील दी गई है कि जिस अवधि का अभियोग बनाया गया है उस अवधि में उनके मुनीम अपने नियमित कार्य पर नहीं आ रहे थे, उनके पिताजी के अस्वस्थ होने तथा तदुपरान्त उनका देहान्त हो जाने से बिक्री के बिल नहीं काटे गये थे। उक्त तर्क से कतई सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि उक्त अवधि में व्यवसाय पूरी तरह से संचालित था तो बिल जारी नहीं करना करवंचना का उद्देश्य ही माना जा सकता है।

8. माल खाते में दर्ज माल अपीलार्थी व्यवहारी के पास मौजूद होना चाहिये था परन्तु भौतिक सत्यापन पर माल कम पाया गया इसका तात्पर्य यह है कि अपीलार्थी द्वारा उच्चन्त बिक्री की गई है। चूंकि व्यवसाय स्थल पर उच्चन्त बिक्री के संबंध में उच्चन्त खरीद सम्बन्धी कोई पर्ची अथवा अन्य दस्तावेज नहीं पाये गये एवं उक्त अपवंचित बिक्री के संबंध में जांच अधिकारी/सशक्त अधिकारी द्वारा लेखा पुस्तकों में दर्ज खरीद के अलावा अन्य खरीद के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिसका तात्पर्य यह है कि लेखा पुस्तकों में दर्ज स्टॉक में से बिना बिल जारी किये अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा मांग राशि आरोपण के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 61 के तहत करापवंचित कर की दुगुनी शास्ति आरोपित की जा सकती है। करापवंचित कर वह कर है जो व्यवहारी को सदभावनापूर्वक जमा करवाया जाने योग्य था परन्तु उसने इसका अपवंचन कर लिया। इस संबंध में अधिनियम की धारा 61 का पठन करना उचित होगा, तदनुरूप :-

**“61. Penalty for avoidance or evasion of tax – (1) Where any dealer has concealed any particulars from any return furnished by him or has deliberately furnished inaccurate particulars therein or has concealed any transactions of sale or purchase from his accounts registers or documents required to be maintained by him under this Act or has avoided or evaded tax in any other manner, the assessing authority or any officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by the commissioner, may direct that such dealer shall pay by way of penalty, in addition to the tax payable by him under this Act, a sum equal two times of the amount of tax avoidable or evaded.”**

अधिनियम की धारा 61 के साथ ही कर देयता के संबंध में धारा 17 के प्रावधानों का पठन करना भी समीचीन होगा जिसका अंकन निम्न प्रकार से है :-

17. “Tax payable by a dealer – (1) Subject to the other provisions of this Act, the net tax payable by a registered dealer, other than the dealer covered by sub-section.

(2) of section 3 or section 5, for a tax period shall be calculated as under :-

$$T = (O+R+P) - I$$

Where –

T is net tax payable

O is amount of output tax;

R is amount of reverse tax;

P is the amount of tax payable under sub-section (2) of section 4; and

I is the amount of input tax.”

अधिनियम की धारा 61 के प्रावधानों के सरसरी अध्ययन से ही स्पष्ट है कि उक्त धारा के अन्तर्गत करापवंचित बिक्री पर देय होने वाले कर के अलावा उक्त कर की दुगुनी शास्ति आरोपित की जा सकेगी। चूंकि सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश से यह निर्विवादित तथ्य स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने समस्त खरीद अपनी लेखा पुस्तकों में दर्ज कर रखी थी एवं वक्त सर्वेक्षण संदर्भित अवधि के बिल नहीं काटे गये थे। यद्यपि बाद में बिल काट दिये गये थे जिसको सशक्त अधिकारी ने अस्वीकार करते हुए पश्चावर्ती सोच का कृत्य माना एवं उक्त बतायी गई बिक्री को करापवंचित बिक्री माना, यह उचित भी था। लेखा पुस्तकों में दर्शायी गई खरीद में से, की गई अपवंचित बिक्री पर देय कर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपण का आधार है। इसका तात्पर्य यह है कि अपवंचित बिक्री राशि पर देय कर, जो अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार जमा करवाने योग्य है, उक्त कर की दुगुनी शास्ति अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित की जा सकती है, जो जमा करवाने योग्य कर (Tax payable) के अतिरिक्त होगी। अर्थात् लेखा पुस्तकों में दर्ज खरीद में सन्निहित आगत कर को कम कर के कर देयता तय करने के पश्चात ही शास्ति का आरोपण किया जाना विधिनुकूल है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इस तथ्य को रेखांकित भी किया है। उक्त विवरण के अनुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा कम की गई कर व शास्ति राशि विधिनुकूल एवं उचित प्रतीत होती है, जिसकी पुष्टि की जाती है। परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा अपवंचित कर की राशि व्यवसायिक लाभ के मध्यनजर तय करते हुए अभिनिर्धारित की है वह उचित प्रतीत नहीं होती है। इसके लिये उक्त प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह करापवंचित बिक्री पर बनने वाले निर्गत कर से अपीलार्थी व्यवहारी के पास इस हेतु उपलब्ध आगत कर राशि को नियमानुसार कम करते हुए करदेयता निर्धारण कर, इसकी दुगुनी शास्ति का निर्धारण करें एवं ब्याज की भी उक्त प्रकार विवेचित कर के विलम्ब को मध्य नजर रखते हुए पुनः गणना कर आरोपित करें। अगर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त की गई राशि में भी अन्तर आता है तो उक्त अपास्त की गई शास्ति इस प्रतिप्रेषण आदेश के अध्याधीन रहेगी।

9. अधिक पाये गये माल पर आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से पुष्ट किया है क्योंकि माल के भौतिक गणना एवं कीमत का आंकलन अपीलार्थी/व्यवसाय प्रबन्धक के समक्ष किया गया है। अतः कार्यवाही त्रुटिविहीन होने से शास्ति अंतर्गत धारा 78(5) पर विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय की पुष्टि की जाती है।




लगातार.....6

10. जहां तक विभाग द्वारा प्रस्तुत क्रास अपील का प्रश्न है विभाग ने अपीलीय अधिकारी द्वारा देय कर (धारा 17(1) के अनुरूप) शास्ति की गणना/ब्याज गणना करने को चुनौती दी है, वह उपरोक्त विवेचन के आलोक में तर्क संगत नहीं है अतः प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

11. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील सशक्त अधिकारी को उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिप्रेषित की जाती है एवं धारा 78(5) के तहत पारित शास्ति के बिन्दु पर अपील अस्वीकार की जाती है तथापि विभाग द्वारा प्रस्तुत क्रास अपील उपरोक्त विवेचनानुसार निरस्त की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(मदन लाल) 2016  
सदस्य